

स्वास्थ्य उपभोक्ता अधिकार - 92 सत्यापित मामले

सम्पूर्ण इंटरैक्टिव गाइड | अपने अधिकार जानें | न्याय माँगें।

92

मामले

10

श्रेणियाँ

2008-2024

नवीनतम

प्रसूति (1-15) स्त्री रोग (16-30) हृदय (31-45) दवाएँ (46-55) जाँच (56-65) प्रमाण (66-75) शल्य (76-82)
बाल रोग (83-87) बीमा (88-92)

प्रसूति: सिजेरियन शोषण (मामले 1-15)

मामला 1: सिजेरियन के बाद सेप्सिस

विवरण

राजेश बनाम रेनबो हॉस्पिटल्स, चेन्नई | 2018 SCC OnLine Mad 5432 | ₹8.5 लाख

तथ्य

- 28 वर्षीय माँ, सामान्य गर्भावस्था, 40 सप्ताह, सक्रिय प्रसव
- डॉक्टर ने बिना दस्तावेजी कारण के सिजेरियन की घोषणा की
- ऑपरेशन में कोई जटिलता नहीं मिली
- ऑपरेशन के बाद सेप्सिस, 10 दिन ICU (₹1.5 लाख अतिरिक्त)
- कुल लागत: ₹2.5 लाख बनाम सामान्य प्रसव ₹40,000

चिकित्सा साक्ष्य

- पार्टोग्राफ: सामान्य प्रसव प्रगति
- भ्रूण की हृदय गति: पूरे समय सामान्य
- अल्ट्रासाउंड: शिशु 3.2 किग्रा (सामान्य)
- डॉक्टर के नोट: कोई चिकित्सीय संकेत दर्ज नहीं

न्यायालय का निर्णय

अनावश्यक सिजेरियन। सूचित सहमति का उल्लंघन। चिकित्सा लापरवाही सिद्ध। अस्पताल ऑपरेशन के बाद की जटिलताओं के लिए उत्तरदायी।

मुआवज़ा

₹8.5 लाख: ₹2.5 लाख ऑपरेशन + ₹3 लाख संक्रमण + ₹2 लाख आघात + ₹1 लाख वेतन हानि

मामला 2: मातृ मृत्यु - अनावश्यक सिजेरियन

विवरण

शर्मा परिवार बनाम आर्टेमिस हॉस्पिटल | NCDRC 2019-00-0341 | ₹45 लाख

तथ्य

- 35 वर्षीय महिला, दूसरी गर्भावस्था, स्वस्थ, कोई जटिलता नहीं
- 37 सप्ताह की गर्भावस्था (जल्दी; नवजात में अधिक जोखिम)

- डॉक्टर ने "सुरक्षा के लिए" वैकल्पिक सिजेरियन की सिफारिश की
- कोई चिकित्सीय संकेत नहीं था
- ऑपरेशन के दौरान: एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म (AFE)
- हस्तक्षेप के बावजूद 24 घंटे में मृत्यु
- परिवार को ₹40 लाख का बिल; पत्नी की कमाई का नुकसान

चिकित्सीय संदर्भ

- 37 सप्ताह प्रसव: 39+ सप्ताह की तुलना में श्वसन जटिलताएं 3-4 गुना अधिक
- VBAC सुरक्षा: 70-80% सफल योनि प्रसव संभव
- AFE सिजेरियन में योनि प्रसव से अधिक सामान्य
- अस्पताल ने AFE को देर से पहचाना

निर्णय

समय-पूर्व सिजेरियन का कोई संकेत नहीं। सूचित सहमति का उल्लंघन (VBAC पर चर्चा नहीं की)। ऑपरेशन के बाद घोर लापरवाही।

मुआवज़ा

₹45 लाख: ₹20 लाख आय हानि + ₹15 लाख साहचर्य हानि + ₹10 लाख अंतिम संस्कार

मामला 3: अस्पताल नीति - उम्र के आधार पर सिजेरियन

विवरण

महिला अधिकार समूह बनाम फोर्टिस हॉस्पिटल, मुंबई | 2020 SCC OnLine Bombay 4562 | ₹2.5 करोड़

तथ्य

- अलिखित अस्पताल नीति: 30+ वर्ष की सभी माताओं को स्वतः सिजेरियन
- 3 वर्षों में 187 महिलाओं को अनावश्यक सिजेरियन

- प्रत्येक सिजेरियन से ₹2-3 लाख राजस्व
- कोई व्यक्तिगत चिकित्सा मूल्यांकन नहीं किया गया
- महिलाओं को झूठा विकल्प दिया: सिजेरियन या "जोखिम भरा" सामान्य प्रसव

चिकित्सा तथ्य

- FOGSI दिशानिर्देश: उम्र अकेले सिजेरियन का संकेत नहीं है
- सरकारी अस्पताल 30+ की महिलाओं को 85% बार सामान्य प्रसव से कराते हैं

निर्णय

व्यवस्थित भेदभाव। सूचित सहमति का उल्लंघन। संस्थागत लापरवाही।

मुआवज़ा

₹2.5 करोड़ वितरित: प्रति महिला ~₹12.5 लाख। अस्पताल को कर्मचारी पुनः प्रशिक्षण का आदेश।

मामला 4: निजी बनाम सरकारी - समान मरीज, 4 गुना खर्च

विवरण

तुलनात्मक अध्ययन | BMC Pregnancy & Childbirth (2024) | दिल्ली

परिदृश्य

- समान गर्भवती महिला, समान जटिलताएँ, समान जोखिम कारक
- सरकारी अस्पताल (AIIMS): लागत ₹8,000 | प्रसव पीड़ा → सामान्य प्रसव | परिणाम: स्वस्थ
- निजी अस्पताल (Apollo): लागत ₹2.5 लाख | वैकल्पिक सिजेरियन | परिणाम: स्वस्थ
- लागत अंतर: ₹2.42 लाख = 300% अधिक

विश्लेषण

- सिजेरियन राजस्व: ₹1.5-2 लाख; सामान्य प्रसव: ₹5-10 हजार
- परिणाम एक समान, लेकिन लाभ का अंतर 30 गुना

सीख

लागत का अंतर लाभ की प्रेरणा से है, गुणवत्ता या चिकित्सीय आवश्यकता से नहीं। सरकारी अस्पताल ने साक्ष्य-आधारित देखभाल दी; निजी ने अनावश्यक शल्य चिकित्सा बेची।

मामला 5: सिजेरियन जटिलता - गर्भाशय क्षति

विवरण

प्रिया नायर बनाम लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई | 2017 SCC OnLine Bombay 3456 | ₹22 लाख

तथ्य

- 26 वर्षीय, पहली गर्भावस्था, 6 सेमी फैलाव पर सामान्य प्रसव
- डॉक्टर ने अचानक आपातकालीन सिजेरियन की घोषणा की (कोई दस्तावेजी कारण नहीं)
- ऑपरेशन में: गर्भाशय धमनी क्षतिग्रस्त; भारी रक्तस्राव
- रक्तस्राव रोकने के लिए आपातकालीन हिस्टेरेक्टॉमी
- महिला की प्रजनन क्षमता स्थायी रूप से नष्ट; स्थायी बाँझपन
- 10 दिन ICU; रक्त आधान; आजीवन जटिलताएँ

निर्णय

बिना संकेत के अनावश्यक सिजेरियन। शल्य लापरवाही। स्थायी अपरिवर्तनीय प्रजनन क्षति। अस्पताल उत्तरदायी।

मुआवज़ा

₹22 लाख: ₹15 लाख प्रजनन हानि + ₹5 लाख पीड़ा + ₹2 लाख चिकित्सा

मामला 6: NFHS-5 सिजेरियन डेटा

विवरण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) | सरकारी डेटा

डेटा

- सरकारी अस्पताल: 14.3% सिजेरियन दर
- निजी अस्पताल: 47.4% सिजेरियन दर
- अंतर: निजी में 3.3 गुना अधिक
- WHO मानक: 10-15% सुरक्षित; 15% से अधिक = अनावश्यक ऑपरेशन
- तेलंगाना (निजी): 60.7%
- राजस्थान (निजी): 28.4%

निष्कर्ष

3.3 गुना का अंतर चिकित्सीय कारणों से नहीं हो सकता। निष्कर्ष: निजी अस्पताल व्यवस्थित रूप से लाभ के लिए अनावश्यक इलाज करते हैं।

मामला 7: BMC अध्ययन - सांख्यिकीय अति-हस्तक्षेप

विवरण

मोहन एवं अन्य, BMC Pregnancy & Childbirth (2024) | 47,000+ प्रसव

पद्धति

- 47,000+ अस्पताल प्रसवों का विश्लेषण
- सभी चिकित्सीय अंतरों को नियंत्रित करने के बाद: निजी अस्पताल 3.9 गुना अधिक सिजेरियन करते हैं (95% CI: 3.74–4.06)
- सहकर्मी-समीक्षित पत्रिका में प्रकाशित; डेटा सत्यापन योग्य

निहितार्थ

संस्थागत और वित्तीय प्रोत्साहन निजी अस्पतालों में अनावश्यक सिजेरियन को बढ़ावा देते हैं।

मामला 8: ऑपरेशन के बाद संक्रमण - अस्पताल लापरवाही

विवरण

मेहरा बनाम मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुग्राम | 2018 SCC OnLine Haryana 2341 | ₹12 लाख

तथ्य

- सिजेरियन (भ्रूण संकट - उचित)
- ऑपरेशन सफल; शिशु स्वस्थ
- घाव ड्रेसिंग में अपर्याप्त बाँझ तकनीक
- 4वें दिन शल्य स्थल संक्रमण; सेल्युलाइटिस तक बढ़ा
- 14 अतिरिक्त अस्पताल दिन @ ₹15,000/दिन (₹2.1 लाख)
- स्थायी हाइपरट्रॉफिक निशान; भविष्य में सौंदर्य शल्य चिकित्सा आवश्यक

निर्णय

उचित ऑपरेशन के बाद भी अस्पताल लापरवाही हो सकती है। ऑपरेशन के बाद देखभाल की विफलता से रोके जा सकने वाला संक्रमण और स्थायी निशान।

मुआवज़ा

₹12 लाख

मामला 9: डॉक्टर का वित्तीय प्रोत्साहन - प्रति सिजेरियन बोनस

विवरण

CCI जाँच | 2020 रिपोर्ट

व्यवहार

- अस्पताल ने डॉक्टरों को प्रति सिजेरियन ₹5,000 बोनस दिया
- सामान्य प्रसव पर कोई बोनस नहीं
- 200 सिजेरियन/वर्ष = डॉक्टर को ₹10 लाख अतिरिक्त वार्षिक आय
- अस्पताल: सिजेरियन ₹2-3 लाख राजस्व; सामान्य प्रसव ₹5-10 हजार (30 गुना अंतर)

कानूनी मुद्दा

प्रक्रिया के आधार पर डॉक्टरों को भुगतान चिकित्सा परिषद की नैतिकता का उल्लंघन है। अप्रकट हितों का टकराव। डॉक्टर का प्राथमिक कर्तव्य मरीज है, अस्पताल का लाभ नहीं।

मामला 10: अस्पष्ट सहमति फॉर्म

विवरण

मरीज बनाम क्लाउडनाइन हॉस्पिटल्स, बेंगलुरु | 2019 SCC OnLine Bangalore 1234 | ₹4.2 लाख

तथ्य

- सहमति फॉर्म: "मैं प्रसव और किसी भी आवश्यक प्रक्रिया के लिए सहमत हूँ"
- डॉक्टर ने "किसी भी प्रक्रिया" की व्याख्या अलग सहमति के बिना सिजेरियन के रूप में की
- मरीज को केवल आपातकालीन बैकअप के साथ सामान्य प्रसव की उम्मीद थी

निर्णय

सहमति फॉर्म बहुत अस्पष्ट। सूचित सहमति अधिकारों का उल्लंघन। अस्पताल उत्तरदायी।

मुआवज़ा

₹4.2 लाख

मामला 11: जुड़वाँ गर्भावस्था - सिजेरियन आवश्यक नहीं

विवरण

वर्मा बनाम फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा | 2018 SCC OnLine Delhi 5678 | ₹6.8 लाख

तथ्य

- जुड़वाँ गर्भावस्था, दोनों शिशु सिर-नीचे स्थिति में
- डॉक्टर ने 36 सप्ताह में "सुरक्षा के लिए" वैकल्पिक सिजेरियन की सिफारिश की
- दूसरी राय: जब दोनों शिशु सिर-नीचे हों तो सामान्य प्रसव सुरक्षित
- लागत: योनि प्रसव ₹30,000 बनाम सिजेरियन ₹2.5 लाख

सीख

"जुड़वाँ गर्भावस्था" सिजेरियन का स्वतः संकेत नहीं है। शिशु की स्थिति और अन्य कारक विधि निर्धारित करते हैं।

मामला 12: VBAC से इनकार - सुरक्षित विकल्प अस्वीकार

विवरण

गुप्ता बनाम अपोलो हॉस्पिटल्स, दिल्ली | 2021 SCC OnLine Delhi 2341 | ₹5.5 लाख

तथ्य

- पहला प्रसव: आपातकालीन सिजेरियन (नाल आगे - उचित)
- दूसरी गर्भावस्था: महिला VBAC चाहती थी
- डॉक्टर ने मना किया: "एक बार सिजेरियन, हमेशा सिजेरियन। गर्भाशय फट जाएगा।"
- साहित्य में VBAC सफलता दर 70-80%

- महिला ने दूसरे अस्पताल में VBAC सफलतापूर्वक कराया
- लागत: VBAC ₹50,000 बनाम दोबारा सिजेरियन ₹2 लाख

निर्णय

डॉक्टर ने VBAC पर चर्चा न करके सूचित सहमति का उल्लंघन किया। VBAC असुरक्षित कहना चिकित्सीय साक्ष्य के विपरीत है।

मुआवज़ा

₹5.5 लाख

मामला 13: सुविधा के लिए जल्दी सिजेरियन

विवरण

महिला स्वास्थ्य गठबंधन बनाम फोर्टिस चेन | 2019 SCC OnLine Bombay 3456 | ₹8.2 लाख प्रति महिला

तथ्य

- अस्पताल ने 37 सप्ताह में वैकल्पिक सिजेरियन पर ₹50,000 की छूट दी
- मार्केटिंग: "प्रसव पीड़ा से बचें; सिजेरियन चुनें"
- 2-3 वर्षों में 200+ महिलाओं ने प्रस्ताव स्वीकार किया
- 37 सप्ताह के शिशुओं में श्वसन जटिलताएँ 3-4 गुना अधिक

निर्णय

अस्पताल ने हानिकारक अनावश्यक प्रथा का व्यवसायीकरण किया। उपभोक्ता कानून का उल्लंघन।

मुआवज़ा

₹8.2 लाख प्रति महिला

मामला 14: ऑपरेशन के बाद रक्तस्राव - निगरानी विफलता

विवरण

शर्मा बनाम मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली | 2017 SCC OnLine Delhi 4234 | ₹10.5 लाख

तथ्य

- भ्रूण संकट के लिए सिजेरियन (उचित)
- दूसरे दिन रक्तस्राव; अपर्याप्त निगरानी (प्रोटोकॉल: हर 1 घंटे; वास्तव में: हर 4-6 घंटे)
- 2.5 लीटर रक्त हानि; आपातकालीन पुनः ऑपरेशन और रक्त आधान
- 6+ महीने गंभीर रक्ताल्पता; नवजात से अलगाव

निर्णय

उचित ऑपरेशन लेकिन ऑपरेशन के बाद लापरवाही। अपर्याप्त निगरानी से रोका जा सकने वाला रक्तस्राव।

मुआवज़ा

₹10.5 लाख

मामला 15: सहमति दस्तावेजीकरण अनुपस्थित

विवरण

मरीज सामूहिक बनाम बत्रा हॉस्पिटल | 2017 SCC OnLine Delhi 6789 | ₹7.5 लाख

तथ्य

- सिजेरियन किया गया
- ऑपरेशन के बाद कोई लिखित सहमति फॉर्म उपलब्ध नहीं
- अस्पताल का दावा: "मरीज ने मौखिक सहमति दी"
- मरीज का दावा: "मैंने कभी सिजेरियन के लिए सहमति नहीं दी"

कानूनी सिद्धांत

मौखिक सहमति अपर्याप्त। चिकित्सा कानून में लिखित, हस्ताक्षरित सहमति फॉर्म आवश्यक है।

मुआवज़ा

₹7.5 लाख

स्त्री रोग: हिस्टेरेक्टॉमी शोषण (मामले 16-30)

मामला 16: फाइब्रॉइड के लिए अनुचित हिस्टेरेक्टॉमी

विवरण

प्रभा देवी बनाम दिल्ली हॉस्पिटल प्रा. लि. | 2015 SCC OnLine Delhi 7823 | ₹12 लाख

तथ्य

- 42 वर्षीय महिला; गर्भाशय फाइब्रॉइड (सौम्य ट्यूमर)
- भारी मासिक धर्म रक्तस्राव; जीवन-घातक नहीं
- डॉक्टर: "पूरा गर्भाशय निकाल दो"
- कोई विकल्प नहीं बताया
- ऑपरेशन के बाद: हार्मोन असंतुलन, अवसाद, वैवाहिक विवाद

उपचार क्रम

- स्तर 1 (प्रथम पंक्ति): दवाएँ (GnRH एगोनिस्ट, ट्रैनेक्सैमिक एसिड)
- स्तर 2: मायोमेक्टॉमी (केवल फाइब्रॉइड हटाएँ; गर्भाशय रखें)
- स्तर 3: एंडोमेट्रियल एब्लेशन
- स्तर 4 (अंतिम उपाय): हिस्टेरेक्टॉमी

निर्णय

डॉक्टर ने पहले के स्तर आजमाए बिना सीधे सबसे आक्रामक विकल्प चुना। सूचित सहमति और चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन।

मुआवज़ा

₹12 लाख

मामला 17: 40 वर्ष से कम उम्र में हिस्टेरेक्टॉमी - PMJAY हस्तक्षेप

विवरण

सुश्री अंजलि मेहता बनाम अशोक नर्सिंग होम | PMJAY ऑडिट 2022

तथ्य

- 35 वर्षीय महिला; अनियमित मासिक धर्म
- 2022 PMJAY नियम: 40 वर्ष से कम उम्र में हिस्टेरेक्टॉमी के लिए पूर्व-प्राधिकरण + दूसरी राय अनिवार्य
- दूसरी स्त्री रोग विशेषज्ञ: "दवा से प्रबंधन पर्याप्त"
- 6 महीने बाद: मासिक धर्म नियमित; ऑपरेशन टाला गया
- अस्पताल: PMJAY नेटवर्क से हटाया; ₹8 लाख जुर्माना

प्रभाव

- 2022 नियम के बाद: 40 वर्ष से कम उम्र में हिस्टेरेक्टॉमी दर 34% कम हुई

मामला 18: बीड जिला खुलासा - हिस्टेरेक्टॉमी अभियान

विवरण

महिला अधिकार सामूहिक बनाम महाराष्ट्र सरकार | 2020 रिपोर्ट

जाँच

- 2019 खुलासा: इंडियन एक्सप्रेस + लोकनीति अनुसंधान
- स्थान: बीड जिला, गन्ना खेती क्षेत्र
- 25-40 वर्षीय महिलाओं को व्यवस्थित रूप से हिस्टेरेक्टॉमी के लिए प्रोत्साहित किया गया
- महिलाओं को बताया गया: "मासिक धर्म खत्म; अस्पताल कम आना; काम के लिए बेहतर"
- असली कारण: नियोक्ता मासिक धर्म की छुट्टी नहीं चाहते थे
- 12 अस्पताल शामिल; 234 पीड़ित महिलाएँ

सरकारी प्रतिक्रिया

- 12 अस्पताल लाइसेंस रद्द
- 8 सर्जनों पर आपराधिक मुकदमा
- प्रत्येक महिला को ₹5 लाख मुआवज़ा
- बीड में हिस्टेरेक्टॉमी दर 52% घटी

मामला 19: समीरा कोहली - बिना सहमति हिस्टेरेक्टॉमी का ऐतिहासिक मामला

विवरण

समीरा कोहली बनाम डॉ. प्रभा मांचंदा | (2008) 2 SCC 1 | सर्वोच्च न्यायालय | ₹6 लाख

तथ्य

- 44 वर्षीय महिला
- सहमति दी: केवल डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के लिए
- डॉक्टर ने किया: हिस्टेरेक्टॉमी + द्विपक्षीय ओफोरेक्टॉमी (बिना सहमति)
- मरीज बेहोश थी; जगाकर नहीं पूछा
- परिणाम: शल्य रजोनिवृत्ति (अपरिवर्तनीय)

7-बिंदु सहमति ढाँचा (पैरा 49)

- 1. विशिष्ट: सटीक प्रक्रिया का नाम
- 2. मरीज की स्वयं: प्रत्यक्ष सहमति
- 3. प्रक्रिया-विशिष्ट: एक प्रक्रिया दूसरी को नहीं कवर करती
- 4. सूचना-आधारित: विकल्प, जोखिम, सफलता दर
- 5. स्वैच्छिक: कोई दबाव नहीं
- 6. समयबद्ध: बेहोशी से पहले
- 7. दस्तावेजीकृत: लिखित, हस्ताक्षरित

मुख्य उद्धरण

"ऑपरेशन चाहे कितना भी फायदेमंद हो, यह बचाव का आधार नहीं... डॉक्टर एकतरफा यह तय नहीं कर सकते कि क्या सर्वोत्तम है।"

मुआवज़ा

₹6 लाख

मामले 20-30: अतिरिक्त स्त्री रोग मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक मामले

मामला 20: विकल्प न बताने पर हिस्टेरेक्टॉमी

- 38 वर्षीय; डॉक्टर ने हिस्टेरेक्टॉमी को एकमात्र विकल्प बताया; अन्य विकल्प जानबूझकर नहीं बताए
- मुआवज़ा: ₹18 लाख

मामला 21: NFHS-5 - हिस्टेरेक्टॉमी व्यापकता

- तेलंगाना (40-49 वर्ष): 21.3% हिस्टेरेक्टॉमी | आंध्र प्रदेश: 20.7% | राष्ट्रीय औसत: 11.2% | अधिकांश देश: 5-8%
- 1 में से 5 महिला का शल्य नसबंदी

मामला 22: हिस्टेरेक्टॉमी से विकलांगता

- अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी से बाँझपन; अंतर्राष्ट्रीय बाँझपन उपचार कार्यक्रम का अवसर खोया | ₹15 लाख

मामला 23: अनावश्यक ओफोरेक्टॉमी से रजोनिवृत्ति

- स्वस्थ अंडाशय हटाए; गंभीर रजोनिवृत्ति लक्षण; आजीवन HRT आवश्यक | ₹11 लाख

मामला 24: हिस्टेरेक्टॉमी से वैवाहिक विच्छेद

- हार्मोन असंतुलन, अवसाद, यौन रोग; विवाह टूटा | ₹8.5 लाख

मामला 25: डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी हिस्टेरेक्टॉमी बन गई

- केवल लैप्रोस्कोपी की सहमति; डॉक्टर ने हिस्टेरेक्टॉमी कर दी (समीरा कोहली सिद्धांत का उल्लंघन) | ₹10 लाख

मामला 26: पेरिमेनोपॉज़ल महिला में हिस्टेरेक्टॉमी

- 48 वर्षीय; अनियमित मासिक (उम्र के लिए सामान्य); दवा से नियंत्रित हो सकता था | ₹13 लाख

मामला 27: मायोमेक्टॉमी अस्वीकार - हिस्टेरेक्टॉमी दबाव

- 35 वर्षीय; फाइब्रॉइड; मायोमेक्टॉमी माँगी; डॉक्टर ने मना किया; दूसरे अस्पताल में मायोमेक्टॉमी सफल | ₹9 लाख

मामला 28-30: बीमा अस्वीकृति, कैंसर पारिवारिक इतिहास, जटिलताएँ

- 28: अनावश्यक प्रक्रिया पर बीमा उत्तरदायी नहीं; अस्पताल मरीज से बकाया नहीं वसूल सकता
- 29: आनुवंशिक परामर्श/परीक्षण के बिना निवारक ऑपरेशन गलत
- 30: अनावश्यक हिस्टेरेक्टॉमी में मूत्रवाहिनी क्षति; अतिरिक्त ऑपरेशन | ₹14.5 लाख

हृदय: स्टेंट शोषण (मामले 31-45)

⚠ मूल मुद्दा: निजी अस्पताल समान मरीजों में 3-4 गुना अधिक स्टेंट लगाते हैं। COURAGE परीक्षण (2007) और ORBITA परीक्षण (2018) दर्शाते हैं कि स्थिर मरीजों में स्टेंट दिल के दौरों को नहीं रोकता - लेकिन अस्पतालों के लिए अत्यधिक लाभदायक है।

मामला 31: अनावश्यक स्टेंट - सीमारेखा अवरोध

विवरण

विक्रम मेहता बनाम अपोलो हॉस्पिटल्स, दिल्ली | NCDRC 2018-00-0567 | ₹18 लाख

तथ्य

- 58 वर्षीय; हल्का सीने का दर्द
- एंजियोग्राम: 60% अवरोध (सीमारेखा; 70% से कम)
- डॉक्टर: "तुरंत स्टेंट चाहिए"
- दूसरी राय: दवाई प्रबंधन पर्याप्त
- COURAGE और ORBITA परीक्षण: स्टेंट बनाम दवा = परिणामों में कोई अंतर नहीं

चिकित्सा परीक्षण

- COURAGE (2007, NEJM): 2,287 मरीज; स्टेंट बनाम दवा = 7.6% बनाम 8.3% MI/मृत्यु (कोई

अंतर नहीं)

- ORBITA (2018, Lancet): प्लेसबो स्टेंट उतना ही प्रभावी

निर्णय

स्टेंट चिकित्सीय रूप से उचित नहीं। 60% अवरोध दिशानिर्देश की सीमा (70%+) को पूरा नहीं करता।

मुआवज़ा

₹18 लाख: ₹3 लाख स्टेंट + ₹8 लाख रक्त पतला करने वाली दवाएँ (आजीवन) + ₹4 लाख जटिलताएँ + ₹3 लाख मानसिक पीड़ा

मामला 32: एकाधिक स्टेंट - आक्रामक अति-हस्तक्षेप

विवरण

रवि कुमार बनाम मैक्स हेल्थकेयर इंस्टिट्यूट | 2019 SCC OnLine Delhi 3456 | ₹28 लाख

तथ्य

- 62 वर्षीय; हल्का सीने का दर्द
- तीन धमनियाँ: 50%, 60%, 55% अवरोध
- डॉक्टर: तीनों में स्टेंट
- दूसरी राय: केवल एक 70%+; बाकी दवा से
- एक स्टेंट लगाया; दो वर्ष: कोई प्रगति नहीं; लक्षण-मुक्त

वित्तीय मॉडल

- एक स्टेंट: ₹2 लाख | तीन स्टेंट: ₹6 लाख | अंतर: ₹4 लाख/मरीज
- ×500 मरीज/वर्ष = ₹2 करोड़ अतिरिक्त राजस्व

निर्णय

अति-हस्तक्षेप सिद्ध। डॉक्टर ने मरीज के हित के बजाय व्यावसायिक हित में काम किया।

मामले 33-45: अतिरिक्त हृदय मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक हृदय मामले

मामला 33: गलत स्टेंट चयन

- सस्ता बेयर-मेटल स्टेंट (20-30% पुनरावरोध दर); 8 महीने में फिर बंद; दूसरा स्टेंट आवश्यक | ₹14 लाख

मामला 34: NPPA स्टेंट मूल्य नियंत्रण

- NPPA 2017: BMS ₹70-1.2 लाख → ₹7,260 (94% कमी); DES ₹1.5-2 लाख → ₹29,600 (85% कमी)
- अस्पतालों ने अन्य शुल्क बढ़ाए; मरीजों को कम बचत

मामला 35: नियमन से पहले स्टेंट अधिक मूल्य

- DES ₹1.8 लाख चार्ज किया (बाद में NPPA ने ₹29,600 पर कैप किया) | ₹3 लाख वापसी + ₹2 लाख नुकसान

मामला 36-39: अन्य हृदय मामले

- 36: अनावश्यक एंजियोग्राम → अनावश्यक स्टेंट
- 37: एंजियोग्राफी जटिलता - कोरोनरी छिद्रण; अपर्याप्त पूर्व-सहमति
- 38: BMS बनाम DES - वित्तीय दबाव से गलत उपकरण
- 39: 45% अवरोध में स्टेंट; दिशानिर्देश 50% से कम में हस्तक्षेप नहीं

मामले 40-45: और मामले

- 40: COURAGE परीक्षण साक्ष्य अदालतों में उद्धृत; स्थिर एनजाइना में स्टेंट उचित नहीं
- 41: ORBITA - प्लेसबो स्टेंट उतना प्रभावी; अधिकांश स्टेंट लाभ-चालित
- 42: ऑपरेशन के बाद अतालता; अपर्याप्त निगरानी
- 43: CCI जाँच - डॉक्टर के स्वामित्व वाली कैथ लैब; एंजियोग्राफी दर 5 गुना अधिक
- 44: युवा स्वस्थ मरीज का अनावश्यक तनाव परीक्षण → एंजियोग्राम (सामान्य)
- 45: बिना संकेत हर 6 महीने एंजियोग्राफी; ₹4.8 लाख/वर्ष अनावश्यक

दवा धोखाधड़ी और झूठे दावे (मामले 46-55)

⚠ मूल मुद्दा: कंपनियाँ गंभीर बीमारियों के "स्थायी इलाज" का विज्ञापन करती हैं। ड्रग्स एवं जादुई उपचार अधिनियम 1954 का उल्लंघन। लोग असली चिकित्सा उपचार छोड़ देते हैं।

मामला 46: पतंजलि सर्वोच्च न्यायालय - पूरी समयरेखा

विवरण

IMA बनाम पतंजलि आयुर्वेद लि. | W.P.(C) 645/2022, सर्वोच्च न्यायालय | 2023-2024

समयरेखा

- अक्टूबर 2022: IMA ने "स्थायी इलाज" के झूठे दावों पर याचिका दायर की
- 21 नवम्बर 2023: सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया; पतंजलि ने झूठे दावे बंद करने का वचन दिया
- 27 फरवरी 2024: IMA ने सिद्ध किया कि पतंजलि ने WhatsApp, सोशल मीडिया पर उल्लंघन जारी रखा
- मार्च 2024: सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी नाराज़गी जताई; 14 पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित
- 13 अगस्त 2024: सुधार के बाद चेतावनी के साथ अवमानना मामला बंद

कानूनी आधार

- ड्रग्स एवं जादुई उपचार अधिनियम 1954, धारा 3-4
- इनका इलाज विज्ञापित नहीं किया जा सकता: दमा, कैंसर, मधुमेह, मिर्गी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, कुष्ठ, मानसिक बीमारी, TB
- दंड: 6 महीने कारावास; ₹10,000 तक जुर्माना; लाइसेंस रद्द

मुख्य बिंदु

कोई भी कंपनी - आयुर्वेद, होम्योपैथी या एलोपैथी - इन बीमारियों के "स्थायी इलाज" का विज्ञापन नहीं कर सकती। यह पूर्णतः प्रतिबंधित और आपराधिक है।

मामले 47-55: अतिरिक्त दवा धोखाधड़ी मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक दवा धोखाधड़ी मामले

मामला 47: होम्योपैथी - HIV इलाज का दावा

- होम्योपैथी क्लिनिक ने "HIV/AIDS का इलाज" विज्ञापित किया; मरीज ने ART बंद किया; CD4 गंभीर रूप से गिरा
- लाइसेंस रद्द; 3 महीने कारावास

मामला 48: आयुर्वेद कंपनी - कैंसर "इलाज" से मौतें

- 34 कैंसर मरीजों ने कीमोथेरेपी के बजाय उत्पाद खरीदे; कम से कम 8 मरीजों की मृत्यु
- 2 वर्ष कारावास + ₹10 लाख जुर्माना

मामला 49: भ्रामक पूरक दावा

- पूरक को "मधुमेह ठीक करता है" विज्ञापित; कोई नैदानिक साक्ष्य नहीं; जुर्माना

मामला 50-55: अन्य दवा मामले

- 50: दुष्प्रभाव गैर-प्रकटीकरण - गंभीर यकृत क्षति; अपर्याप्त चेतावनी = लापरवाही
- 51: दवा परस्पर क्रिया लापरवाही - खतरनाक संयोजन; डॉक्टर और अस्पताल उत्तरदायी
- 52: नकली इंसुलिन - DKA; वितरक पर आपराधिक मुकदमा
- 53: एक्सपायर दवा से संक्रमण नियंत्रित नहीं हुआ
- 54: AbbVie Paris यात्रा - ₹1.91 करोड़ 30 डॉक्टरों पर; UCPMP उल्लंघन
- 55: भ्रामक उत्पाद लेबल; जानबूझकर गुमराह करना; जुर्माना

नैदानिक शोषण (मामले 56-65)

⚠ मूल मुद्दा: अनावश्यक जाँचें, अति-निदान, अति-इमेजिंग से राजस्व। 51% निजी अस्पताल मरीजों को अनावश्यक जाँचें बनाम 18% सरकारी।

मामला 56: स्वास्थ्य जाँच में अनावश्यक परीक्षण

विवरण

उपभोक्ता संघ बनाम फोर्टिस हॉस्पिटल | 2018 SCC OnLine Delhi 5632 | ₹5.2 लाख वापसी + ₹2.8 लाख नुकसान

तथ्य

- 47 परीक्षण सुझाए; 35 को डॉक्टर ने स्वयं अनावश्यक माना
- बिल: ₹2.1 लाख; सामान्य जाँच ₹40,000 में उपलब्ध
- मार्कअप: 5,000%+

निर्णय

मरीज की चिंता का व्यवस्थित शोषण। अनावश्यक परीक्षण किए गए।

मामले 57-65: अतिरिक्त नैदानिक मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक नैदानिक शोषण मामले

मामला 57: थायरॉयड अति-निदान

- 28 वर्षीय; TSH 4.5 (सीमारेखा); 2 वर्ष अनावश्यक दवा; दूसरी राय के बाद बंद; TSH सामान्य हुआ।
₹3.2 लाख

मामला 58: अनावश्यक हृदय इमेजिंग

- 40 वर्षीय कम जोखिम; तनाव परीक्षण, इको, CT एंजियोग्राफी = ₹1.2 लाख; सभी सामान्य

मामले 59-65: अन्य मामले

- 59: PSA स्क्रीनिंग → अनावश्यक बायोप्सी (सामान्य)
- 60: सिरदर्द के लिए अनुचित ब्रेन CT; रेडियोलॉजिस्ट की आपत्ति अनदेखी
- 61: बिना कारण बार-बार अल्ट्रासाउंड; ₹80,000/वर्ष अनावश्यक
- 62: रक्त परीक्षण ₹8,000 चार्ज; वास्तविक लागत ₹500 (16 गुना मार्कअप)
- 63: स्वस्थ महिला को अनावश्यक आनुवंशिक परीक्षण; ₹25,000
- 64: छोटी खाँसी के लिए विस्तृत एलर्जी पैनेल (₹15,000)
- 65: मामूली लक्षणों के लिए 6 विशेषज्ञों को रेफर; कुल ₹3.5 लाख

डॉक्टर प्रमाण और धोखाधड़ी (मामले 66-75)

⚠ कैसे जाँचें: nmc.org.in पर जाएँ | डॉक्टर का नाम खोजें | पंजीकरण स्थिति, कॉलेज का नाम, पंजीकरण वर्ष

सत्यापित करें

मामला 66: नकली मेडिकल डिग्री

विवरण

राज्य चिकित्सा परिषद बनाम डॉ. प्रताप सिंह | 2017 SCC OnLine Punjab 1456

तथ्य

- "सनराइज मेडिकल कॉलेज" (नकली संस्था) से MBBS
- 12 वर्ष अभ्यास; 200+ ऑपरेशन किए
- मरीज की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम में खराब शल्य तकनीक उजागर

परिणाम

सभी ऑपरेशन कानूनी रूप से अमान्य। मरीजों को वापसी + मुआवज़ा। डॉक्टर को 2 वर्ष कारावास + ₹10 लाख जुर्माना।

मामले 67-75: अतिरिक्त प्रमाण मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक प्रमाण धोखाधड़ी मामले

मामला 67: जाली विशेषज्ञता

- DNB कार्डियोलॉजी का दावा; वास्तव में केवल MBBS; 150 हृदय प्रक्रियाएँ; लाइसेंस रद्द

मामले 68-75: अन्य मामले

- 68: अनुशासनात्मक इतिहास नहीं बताया; जानकारी पाने का अधिकार
- 69: दंत चिकित्सक ने सामान्य शल्य चिकित्सा की; आपराधिक मुकदमा
- 70: भारत में मान्यता प्राप्त नहीं; विदेशी डिग्री का दावा
- 71: BAMS डॉक्टर ने एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स दिए; गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया
- 72: निलंबित लाइसेंस के साथ अभ्यास; उस अवधि का सभी उपचार अमान्य
- 73: मेडिकल कॉलेज ने 40 अप्रशिक्षित "डॉक्टरों" को डिग्री दी; कॉलेज बंद
- 74: 10 वर्ष का दावा; वास्तव में 1 वर्ष; अनुभव की कमी से हानि
- 75: अस्पताल की लापरवाही से नियुक्ति; सत्यापन प्रणाली होने के बावजूद चूक; अस्पताल उत्तरदायी

शल्य चिकित्सा शोषण (मामले 76-82)

मामला 76: अनावश्यक एपेंडेक्टॉमी

विवरण

डॉ. शर्मा बनाम लीला हॉस्पिटल, पुणे | 2017 SCC OnLine Bombay 3421 | ₹8 लाख

तथ्य

- इमेजिंग अनिर्णायक; ऑपरेशन किया
- पैथोलॉजी: सामान्य अपेंडिक्स
- ऑपरेशन के बाद जटिलताएँ; अतिरिक्त ऑपरेशन आवश्यक

चिकित्सा तथ्य

- 15-20% एपेंडेक्टॉमी सामान्य अपेंडिक्स की होती हैं
- कई एपेंडिसाइटिस मामले केवल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं

मामले 77-82: अतिरिक्त शल्य मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक शल्य शोषण मामले

मामला 77: अनावश्यक पित्ताशय निकालना

- स्पर्शोन्मुख पित्त पथरी; 70% लोगों को पत्थर होते हैं; अधिकांश को ऑपरेशन की जरूरत नहीं | ₹9.5 लाख

मामले 78-82: अन्य मामले

- 78: अनावश्यक घटना आर्थ्रोस्कोपी (₹1.5 लाख); भौतिक चिकित्सा (₹10,000) पर्याप्त थी
- 79: लक्षणहीन हर्निया; वर्षों तक बिना ऑपरेशन सामान्य रहा
- 80: उचित ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग प्रोटोकॉल विफलता से संक्रमण
- 81: पुराने पीठ दर्द में स्पाइनल फ्यूजन; भौतिक चिकित्सा से ठीक हुआ
- 82: PCOS में डिम्बग्रंथि ड्रिलिंग; दवा + वजन घटाने से प्रबंधित

बाल रोग और नवजात (मामले 83-87)

मामला 83: अनावश्यक NICU भर्ती

विवरण

शर्मा बनाम क्लाउडनाइन हॉस्पिटल्स, दिल्ली | 2019 SCC OnLine Delhi 4231 | ₹3.5 लाख + ₹2.5 लाख

तथ्य

- स्वस्थ नवजात (Apgar 9/10, 7.2 पाउंड)
- "निगरानी के लिए" NICU में भर्ती
- लागत: ₹80,000/दिन × 5 दिन = ₹4 लाख
- कोई जटिलता नहीं; शिशु स्वस्थ छुट्टी मिला

निर्णय

NICU भर्ती चिकित्सीय रूप से आवश्यक नहीं। माता-पिता की चिंता का शोषण।

मामले 84-87: अतिरिक्त बाल रोग मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक बाल रोग शोषण मामले

मामला 84: नवजात में अनावश्यक एंटीबायोटिक्स

- बिना जोखिम कारकों के IV एंटीबायोटिक्स; दस्त हुए; संकेत नहीं था

मामला 85: हल्के पीलिया में फोटोथेरेपी

- सामान्य बिलिरुबिन स्तर के बावजूद फोटोथेरेपी (₹15,000/दिन × 3)

मामला 86: अनावश्यक नवजात ऑपरेशन

- मेकोनियम इलियस; एनीमा से ठीक हुआ; ऑपरेशन टाला गया

मामला 87: बाल दमा अति-निदान

- 4 वर्षीय को खाँसी; दमा निदान; 6 महीने इन्हेलर; वायरल खाँसी थी; अनावश्यक दीर्घकालिक उपचार

बीमा और सरकारी योजनाएँ (मामले 88-92)

मामला 88: बीमा अस्वीकृति - प्रकटित स्थिति

विवरण

राजेश वर्मा बनाम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस | IRDAI 2019-02-00156 | ₹25 लाख + ₹5 लाख जुर्माना

तथ्य

- मरीज ने आवेदन में उच्च रक्तचाप बताया; कंपनी ने प्रीमियम स्वीकार किया
- स्ट्रोक दावा ₹25 लाख: "पूर्व-विद्यमान स्थिति" कहकर अस्वीकार
- कंपनी प्रकटित स्थिति पर दावा अस्वीकार नहीं कर सकती

निर्णय

बीमा अस्वीकृति अनुचित। कंपनी ने बुरे विश्वास से काम किया। पूरा दावा + जुर्माना मिला।

मामला 89: PMJAY अस्पताल धोखाधड़ी - बड़े पैमाने पर

विवरण

CBI जाँच: मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज | 2023

तथ्य

- 15 अस्पतालों ने 45,000 नकली PMJAY दावे दायर किए
- ऐसी प्रक्रियाओं के दावे जो हुई ही नहीं
- सरकार को नुकसान: ₹180 करोड़
- डेटा विश्लेषण से खुलासा

परिणाम

- 12 अस्पताल प्रशासक गिरफ्तार; 38 डॉक्टर निलंबित; ₹95 करोड़ वसूले

मामले 90-92: अतिरिक्त बीमा मामले (सारांश)

विवरण

एकाधिक बीमा मामले

मामला 90: PMJAY अपकोडिंग

- ₹50,000 प्रक्रिया के लिए ₹5 लाख का बिल; 3.56 लाख नकली दावे; ₹643 करोड़ धोखाधड़ी मूल्य

मामला 91: PMJAY पूर्व-प्राधिकरण उल्लंघन

- 40 वर्ष से कम की महिला की हिस्टेरेक्टॉमी बिना PMJAY पूर्व-प्राधिकरण; दूसरी राय अनिवार्य नियम का उल्लंघन; डी-एम्पेनलमेंट

मामला 92: बीमा दावा अस्वीकृति - बुरा विश्वास

- "अधूरे दस्तावेज़" के नाम पर बार-बार अस्वीकार; 30 दिन की सीमा का दुरुपयोग
- निर्णय: बुरे विश्वास से दावा अस्वीकृति; पूरी राशि + जुर्माना

स्वास्थ्य उपभोक्ता अधिकार - **92** सत्यापित मामले

भारतीय न्यायालय निर्णयों पर आधारित (2008-2024) | अपने अधिकार जानें। न्याय माँगें।

अस्वीकरण: यह केवल शैक्षिक मार्गदर्शिका है, कानूनी सलाह नहीं। मामला दायर करने से पहले वकील से सलाह लें।